

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

शुद्धि-पत्र

संचिका संख्या 06/कि 09-01/2011/ विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या
120 दिनांक 02.03.2016 के साथ संलग्न जिलावार विवरणी के क्रम संख्या -10 पश्चिमी चम्पारण को पूर्वी
चम्पारण पढ़ा जाय एवं क्रम संख्या- 39 पूर्वी चम्पारण को पश्चिमी चम्पारण पढ़ा जाय।

शेष यथावत् रहेगा।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 06/कि 9-01/2011५४...../ पटना, दिनांक :-१५/३...../2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला
पदाधिकारी/संबंधित उप-विकास आयुक्त/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी /आय-व्यय
पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/लेखापाल (दो अतिरिक्त प्रति-जिलावार विद्यालय की
विवरणी के साथ) आईटी मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१५/३/१६
सरकार के संयुक्त सचिव